संख्या:03/2025/I/972187/2025/6-1001(008)/24/2023

प्रेषक,

राकेश कुमार मालपाणी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 2025**

विषयः- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली, 1992 के नियम-3 के अन्तर्गत विशेष परिस्थिति के फलस्वरूप उपनिरीक्षक ना0पु0 एवं समकक्ष पदों को भरने के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा में शिथिलीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: डीजी-चार-106(100)2018-25(सी0भ0) दिनांक 05.04.2025 के संदर्भ में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन की उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के आलोक में चयन वर्ष 2020-2021 से चयन वर्ष 2024-2025 तक उपनिरीक्षक ना0पु0 एवं समकक्ष पदों पर उत्पन्न कुल 4543 रिक्तियों के सापेक्ष सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा में सभी वर्गों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 03 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के अनुपालन में रिक्त पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में कृपया आवश्यक अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

इसे भविष्य में किसी अन्य प्रकरण हेतु दृष्टांत नहीं माना जायेगा।

भवदीय
राकेश कुमार मालपाणी
विशेष सचिव।

संख्या: 972187(1)/ 6-1001(008)/24/2023, तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
(2) अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) गृह (पुलिस) अनुभाग-10/मीडिया सेल/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in